न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
25/2017	25.07.2017	20.02.2018

उनवान

1 बूटाराम पुत्र हरीचन्द जाति जाट निवासी दांतला तह0 मुण्डावर जिला अलवर

–: वादी

बनाम

1 राजस्थान स्टेट जरियें लैण्ड हौल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

–: प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 लैण्ड रिकॉर्ड अधि0

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 20.02.2018

उपस्थिति :–

1– श्री अशोक चौधरी, वकील प्रार्थी

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि आराजी ख0नं0 11/0.06, 12/0.57, 12/0.27, 23/0.25, 24/0.25, 41/0.59, 49/0.35, 61/0.21, 112/0.10, 117/0.06, 121/0.19, 130/0.34, 228/0.33, 229/0.30, 231/0.37, 237/0.25, 234/0.25, 239/0.20, 242/0.57, 269/0.20, 271/0.25, 279/426/0.16, 279/427/0.16, 315/0.37, 238/0.52, 08/0.30 है0 वाके ग्राम दांतला, तहसील मुण्डावर की आराजी प्रार्थी को विरासत से प्राप्त खातेदारी की आराजी है एवं प्रार्थी की जाति जाट है। इस बाबत प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2016, 2019, 2023, हाल राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थी की जाति जाट दर्ज रिकॉर्ड है। तत्पश्चात हाल रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति जाट पंजाबी दर्ज कर दिया गया है। जिस बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर जाति ''जाट पंजाबी'' के स्थान पर जाति जाट दर्ज रिकॉर्ड किये जाने का निवेदन रहा।

चूँकि प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के पत्रांक : 3457 दिनांक 12.08.2016 द्वारा मय निर्णय दिनांक 21.06.2016 इस आशय के निर्देश के साथ पुनः प्रापत हुआ है कि उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2012 को खारीज किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में बिन्दू सं0 01 आवंटन आदेश की प्रति इत्यादि

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

को मध्यनजर रखते हुये हरीचन्द पुत्र दयालचन्द नाम के दो व्यक्ति है अथवा एक की जांच करके एवं उनी जाति के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट लेकर अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करेंने की स्थिति में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, मुण्डावर से जांच रिपोर्ट चाही गई। मुताबिक तहसीलदार, मुण्डावर की प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 01.11.2017 अनुसार हरीचन्द पुत्र दयालचन्द साकिन दांतला जाति जाट के नाम का दूसरा व्यक्ति गांव दांतला में कोई नहीं है व सैटलमेन्ट में भी हरीचन्द पुत्र दयालचन्द जाट दर्ज है। संवत 2028–31 की जमाबन्दी में भी विरासत से बूटाराम पुत्र हरीचन्द जाट रिकॉर्ड दर्ज है व संवत 2035 में बूटाराम पुत्र हरीचन्द जाट पंजाबी रिकॉर्ड दर्ज है दुरूस्त किये जाने का निवेदन रहा।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थी की जाति जाट पंजाबी हजफ किया जाकर जाति जाट हाल रिकॉर्ड दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार, मुण्डावर का गहनता से अध्यय उपरान्त प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाल आराजी ख0नं0 11/0.06, 12/0.57, 12/0.27, 23/0.25, 24/0.25, 41/0.59, 49/0.35, 61/0.21, 112/0.10, 117/0.06, 121/0.19, 130/0.34, 228/0.33, 229/0.30, 231/0.37, 237/0.25, 234/0.25, 239/0.20, 242/0.57, 269/0.20, 271/0.25, 279/426/0.16, 279/427/0.16, 315/0.37, 238/0.52, 08/0.30 है0 वाके ग्राम दांतला, तहसील मुण्डावर में प्रार्थी बूटाराम पुत्र हरीचन्द जाति "जाट पंजाबी" के बजाय जाति "जाट" दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार हाल रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार, मुण्डावर को उक्तानुसार अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर

दिनांक 20-3-18 प्रार्थना पत्र धारा 152 भू०रा०अधि० पेश होकर स्वीकार होकर निर्णय दिनांक 20-2-18 में अंकित आराजी ख० नं० 12 रकबा 0.27 के बजाय ख० नं० 22 रकबा 0.27 हैक्टर पढ़ा जावे। शेष निर्णय पूर्ववत: प्रभावी रहेगा।
20.03.18
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner